विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक 11002 /एनआर–3/तक./मनरेगा/2016 भोपाल, दिनांक 01 11 2016 29/10/2016

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त), मध्यप्रेदश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला पंचायत, (समस्त) म.प्र.

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कपिलधारा उपयोजना में कूप निर्माण।

—0—

सितंबर एवं अक्टूबर, 2016 में मेरे द्वारा ली गई संभागीय समीक्षा बैठकों में संभागायुक्तों/कलेक्टरों/मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श के उपरांत कपिलधारा उपयोजना के क्रियान्वयन के लिए निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं:–

(i) कपिलधारा कूप की स्वीकृति में भविष्य में खेत तालाब और कूप दोनों शामिल होंगे।

(ii) हितग्राही चयनः–

2.1 कपिलधारा उपयोजना के तहत ऐसे हितग्राहियों का चयन किया जाए जिनके पास न्यूनतम 1 एकड़ कृषि भूमि हो लेकिन अधिकतम कृषि भूमि 2.5 एकड़ या कम हो।

2.2 हितग्राहियों के चयन का प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार होगाः–

2.2.1 प्रथम प्राथमिकता में ऐसी विधवा अथवा परित्यक्ता महिला जिस पर परिवार की आजीविका निर्भर हो।

2.2.2. द्वितीय प्राथमिकता में (i) अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के परिवार एवं (ii) अन्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार।

2.2.2 तृतीय एवं अग्रिम प्राथमिकता में अन्य परिवार।

2.3 जिन कृषकों के क्षेत्र में पूर्व से कुए अथवा सिंचाई के साधन हों, वे अपात्र माने जाएं।

2.4 पंचायतीराज पदाधिकारियों/सेवकों/मानदेय पर कार्यरत व्यक्तियों तथा शासकीय सेवकों के परिवार के किसी सदस्य का चयन आवश्यक हो तो हितग्राही के लिए स्वीकृति जारी करने के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत से लिखित अनुमति ली जाए।

2.5 हितग्राही का चयन करने के उपरांत चयनित हितग्राही के लिए कपिल धारा कूप ग्राम पंचायत की कार्य योजना में सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जावे।

3. खेत तालाबः

3.1 खेत तालाब की न्यूनतम जल संग्रहण क्षमता 400 घनमीटर रखना होगी। इस उद्देश्य से खेत तालाब का उपयुक्त आकार तय करने की छूट हितग्राही को होगी। उपयुक्त आकार के लिए सुझावात्मक तालिका निम्नानुसार हैः–

ऊपरी सतह	तल सतह	गहराई (मीटर में)
15x15	9x9	3
10x25	4x19	3
12x18	6x12	3

3.2 खेत तालाब के बाहरी और अंदरूनी हिस्से में खेत तालाब की ऊपरी सतह से एक मीटर गहराई तक पत्थर की पिचिंग करना अनिवार्य होगा।

3.3 खेत तालाब तथा कुए की खुदाई से निकलने वाली मिट्टी का उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए खेत के समतलीकरण करने अथवा खेत की मेंड बनाने में किया जाए।

4. कूप निर्माण:

4.1 कूप का निर्माण गोलाकार में किया जाए। कूप का व्यास सामान्यतः 5 मीटर अर्थात कुए के मध्य बिंदु से किनारे की दूरी निर्माण के उपरांत 2.5 मीटर रहना चाहिए।

4.2 कूप की गहराई न्यूनतम 12 मीटर होना चाहिए। ग्राम पंचायत/स्वसहायता समूह/हितग्राही कूप निर्माण की उपरोक्तानुसार लागत सीमा के भीतर अधिक गहराई का कुआ बनाने के लिए स्वतंत्र होगा।

4.3 कूप निर्माण के लिए हितग्राही मटेरियल कम्पोनेंट के तहत मशीन से बोरिंग करवा सकेगा।

4.4 कूप बंधान के लिए फाउण्डेशन हार्ड रॉक पर आरसीसी बीम डालकर बनाना होगा।

4.5 कूप बंधान सीमेंट क्रांक्रीट/ईंट/पत्थर/ से गोलाकार में करना होगा। कूप के ऊपरी हिस्से (मुडेर) की चौड़ाई 30 से 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। मुडेर (पेरापेट वॉल) 75 से.मी. ऊँचाई की बनाना होगी।

4.6 कुए के बाहरी हिस्से में न्यूनतम एक मीटर की जगत बनाना होगी।

5. खेत तालाब एवं कूप निर्माण को जोड़ना:

5.1 खेत तालाब खेत के ऊपरी क्षेत्र में और कूप निचले क्षेत्र में बनाया जाना चाहिए।

5.2 खेत तालाब को कूप से जोड़ना अनिवार्य होगा ताकि तालाब का अतिशेष जल कुए में प्रवाहित हो।

5.3 खेत तालाब को कूप से जोड़ने के लिए 4 से 6 इंच की भूमिगत पीवीसी पाईप लाईन बिछाई जा सकती है अथवा भूमि की सतह पर पक्की नाली का निर्माण किया जा सकता है।

5.4 कूप में खेत तालाब से जल आने के स्थान पर एक वर्गमीटर क्षेत्र में पत्थर तथा बजरी बिछाकर फिल्टर बनाया जाए ताकि कूप में खेत तालाब की मिट्टी बहकर न आए। इससे पानी छनकर कुए में जाएगा।

6. स्थल चयनः

6.1 स्थल चयन हितग्राही की पसंद अनुसार किया जाए। स्थल चयन के लिए भू जलविद की मदद ली जा सकती है। स्थल चयन हेतु भूजलविद के निरीक्षण एवं सर्वेक्षण के लिए हितग्राही मटेरियल कम्पोनेंट के तहत भुगतान कर सकेगा।

6.2 खेत तालाब का स्थल चयन सामान्यतः खेत के ऊपरी क्षेत्र में किया जाना चाहिए ताकि तालाब में भरे पानी से भूमिगत नमी का लाभ उसी खेत में मिल सके और जल के भूमिगत रिचार्ज का लाभ कुए में संग्रहित जल से मिल सके।

6.3 भूमिगत जल की उपलब्धता के ऑकलन के लिए विशेषज्ञ की मदद से हितग्राही को कूप निर्माण का स्थल चयन करना चाहिए। सामान्यतः कूप निर्माण का स्थल चयन सामान्यतः खेत के निचले हिस्से में किया जाना चाहिए।

7. लेआउटः

खेत तालाब एवं कूप निर्माण के लेआउट देने के लिए उपयंत्री अथवा किसी तकनीकी अधिकारी की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी। लेआउट ग्राम का कोई भी मिस्त्री अथवा अनुभवी व्यक्ति हितग्राही के साथ मिलकर तय कर सकेगा।

8. निर्माण एजेंसी :

8.1 यदि हितग्राही आजीविका मिशन के तहत स्वसहायता समूह का सदस्य हो तो सामान्यतः संबंधित स्वसहायता समूह निर्माण एजेंसी होगा। अन्य परिस्थितियों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्माण एजेंसी होगी।

8.2 मजदूरी के लिए मस्टर रोल स्वसहायता समूह/ग्राम पंचायत को जारी किए जाऐंगे।

8.3 कपिलधारा उपयोजना के तहत मेट का कार्य अनिवार्यतः हितग्राही द्वारा किया जाए। अन्य किसी व्यक्ति से मेट का कार्य नहीं कराया जाए। हितग्राही के परिवार के सदस्यों को एवं उसके सुझाए अनुसार मजदूरों को नियोजित करने में प्राथमिकता दी जावे।

8.4 सामग्री/मशीन का भुगतान हितग्राही को सीधे उसके बैंक खाते में एफटीओ से जारी किया जाएगा।

8.5 निर्माण कार्य हितग्राही स्वयं कराएगा। ग्राम पंचायत/स्व सहायता समूह आवश्यक सहयोग दे सकेगी।

9. लागत, मूल्यांकन एवं भुगतानः

9.1 कपिलधारा कूप (खेत तालाब सहित) की लागतरू. 2,30,000/– निर्धारित की जाती है।

9.2 निर्माण के लिए उपयंत्री/तकनीकी अधिकारी द्वारा मूल्यांकन कराया जाना आवश्यक नहीं होगा। मूल्यांकन निर्माण कार्य की प्रगति के विभिन्न चरणों के आधार पर होगा जैसा कि वर्तमान में आवास योजनाओं के लिए लागू है। मूल्यांकन के चरण निम्न तालिका अनुसार होंगेः–

चरण	निर्माण	मूल्यांकन	मजदूरी राशि	सामग्री/मशीन राशि
प्रथम	खेत तालाब की पूरी खुदाई एवं कूप की खुदाई 6 मीटर तक	60,000	50,000	10,000
द्वितीय	कुआ खुदाई 12 मीटर तक	60,000	40,000	20,000
तृतीय	खेत तालाब की पिंचिंग एवं कूप बंधाई खेत स्तर तक	60,000	15,000	45,000
चतुर्थ	मुंडेर (पेरापेट) एवं जगत पूर्ण करना एवं खेत तालाब से कूप जोड़ना	50,000	10,000	40,000
	योग	2,30,000	1,15,000	1,15,000

9.3 मजदूरी का भुगतान मस्टर रोल के अनुसार साप्ताहिक आधार पर किया जाए। प्रत्येक चरण के लिए मजदूरी अंश की उक्त तालिका में निर्धारित राशि उस चरण का कार्य पूरा होने तक के लिए उस चरण की सीमा होगी।

9.4 सामग्री अंश (मटेरियल कम्पोनेंट) के तहत हितग्राही को प्रत्येक चरण के लिए धनराशि अग्रिम दी जाए। स्वीकृति देने पर प्रथम चरण के लिए रू. 10,000 अग्रिम दिया जाए। प्रथम चरण का कार्य पूर्ण होने पर द्वितीय चरण के लिए रू. 20,000 का अग्रिम दिया जाए। द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण होने पर तृतीय चरण के लिए रू. 45,000 अग्रिम दिया जाए। तृतीय चरण का कार्य पूर्ण होने पर चतुर्थ चरण के लिए रू. 40,000 अग्रिम दिया जाए।

9.5 सामग्री अंश के लिए हितग्राही को वेन्डर माना जाए। सामग्री अंश के संबंध में हितग्राही द्वारा संलग्न परिशिष्ट–'अ' में प्रस्तुत देयक को मान्य किया जाए।

10. रोजगार सहायक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निर्माण के विभिन्न चरणों का निरीक्षण कर उनके जियोटेग फोटो लेकर हितग्राही को एफटीओ कराने के लिए मांगपत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को प्रस्तुत करे।

11. कपिलधारा उपयोजना के तहत निर्माण के लिए सुझावात्मक रूपांकन संलग्न परिशिष्ट– 'ब' अनुसार है।

12. <u>प्रभावशीलता:</u>

12.1 यह दिशा–निर्देश दि. 1 नवंबर, 2016 से स्वीकृत कूप के लिए लागू होंगे।

12.2 पूर्व में स्वीकृत कूप में यदि निर्माण कार्य प्रारंभ न हुआ हो तो यह दिशा–निर्देश लागू होंगे।

12.3 निर्माण कार्य प्रारंभिक चरण में हो तो संबंधित हितग्राही की चाहने पर भी ये दिर्शा–निर्देश लागू हो सकेंगे।

संलग्नः दो परिशिष्ट।

29.10.16.

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृ.क्रं 11063/एनआर–3/तक./मनरेगा/2016 भोपाल, दिनांक 01/11/2016 ~~29/10/2016~~

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. संभागायुक्त समस्त।
3. ओ.एस.डी., मा. मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
4. राज्य समन्वयक, राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
6. संयुक्त आयुक्त, समन्वय, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
7. समस्त अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल, मध्यप्रदेश।
8. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मध्यप्रदेश।
10. समस्त ग्राम पंचायत को वेबसाइट पर प्रकाशन से।

29.10.16.

विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

देयक एवं [illegible]

परिशिष्ट—अ

उपयोगिता प्रमाण—पत्र

महात्मा गॉधी नरेगा योजना अन्तर्गत मुझे (————————————पिता / पति श्री————————————————————निवासी ग्राम————————————————)स्वीकृत कपिलधारा कूप सह खेत—तालाब के लिए मुझे सामग्री अंश के लिए प्राप्त अग्रिम धनराशि के उपयोग के संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:—

चरण	अग्रिम प्राप्त	उपयोग राशि
प्रथम		
द्वितीय		
तृतीय		
चतुर्थ		

मैंने उपरोक्त धनराशि से सामग्री क्रय करके तथा मशीनें किराए पर लेकर प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ चरण का कार्य पूरा करा दिया है।

कृपया सामग्री अंश के तहत व्यय राशि का समायोजन स्वीकार करें।

दिनांक

स्थान—

हस्ताक्षर

हितग्राही का नाम

ग्राम पंचायत

जनपद पंचायत

जिला